न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थनापत्र संख्याः– 47 / 2019

1–राजस्थान सरकार , तहसीलदार कांमा

बनाम

1–हनुमान ग्रिट उद्योग , ग्राम फतेहपुर तहसील कांमा

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स शुद्धीकरण

आदेश

दिनांक 10.07.2019

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कांमा के पत्र क्रमांक 560 दिनांक 12.06.2019 से निवेदन किया है कि श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2009 में आराजी खसरा नं0 279 रकवा 0. 50 हैक्ट गैर मुमकिन उद्योग है जबकि ग्राम फतेहपुर में नामा. संख्या 443 से पूर्व किस्म डहरी है क्योंकि जो रेफरेन्स पूर्व में तहसीलदार कांमा द्वारा प्रस्तुत किया गया था वह मय संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी नकल में नामान्तकरण संख्या 143 पटवारी गलती से संलग्न किया गया था। नकल जमाबन्दी के आधार पर न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2009 नामान्तकरण संख्या 443 की जगह 143 कर दिया गया। रेफरेन्स स्वीकार कर राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवा दिया गया। तहसीलदार कांमा द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 560 दिनांक 12.06.2019 एवं संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में भेजे गये रेफरेन्स के साथ दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण संख्या 443 की जगह 143 हो गया। हाल पटवारी की रिपोर्ट एवं जमाबन्दी के अनुसार नामान्तकरण संख्या 443 ही है। अतः नामान्तकरण संख्या 143 की जगह 443 पढा जावे एवं मूल निर्णय में लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार कांमा को पालनार्थ भेजी जावे। इसी के साथ राजस्व मण्डल अजमेर को मूल पत्रावली के साथ प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। वाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर ,
भरतपुर